पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

भ्रष्टाचार पर प्रहार, आजमगढ़ में 51.46 लाख की वित्तीय अनियमितता में जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक गिरफ्तार

लखनऊ : 13 मई, 2026

प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री राजेश चौधरी और पटल सहायक श्री सतेंद्र बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में 51.46 लाख रूपये की गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है।

शिकायत पर हुई कार्रवाई

अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के अनियमित भुगतान के संबंध में प्राप्त एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया भारी वित्तीय हेराफेरी और पद के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बुधवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आरोपी कोई भी हो, बक्शा नहीं जाएगा। पहले भी इस तरह के मामलों में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा गया है।

श्री असीम अरुण समाज कल्याण विभाग (स्वतंत्र प्रभार)

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राघवेन्द्र / 07:15 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in